the Indo-Pak border in Punjab and Rajasthan and for the remaining areas in these States, similar action is in progress. Adequate measures have also been taken to further strengthen the border in Jammu & Kashmir. Steps are also being initiated to provide the BSF with the necessary equipment, and the wherewithal to effectively check unauthorised movement across the border.

उड़ीसा के अस्पतालों में रिक्त पद

*216. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में चलाए जा रहे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन अस्पतालों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और वे कब. से रिक्त हैं ; और

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक भर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में केंद्रीय सरकार के अधीन चार (4) अस्पताल हैं । इन अस्पतालों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेल मंत्रालय

1. रेलवे अस्पताल, खुर्दा रोड ।
2. रेलवे अस्पताल, बांडामुंडा ।

श्रम मंत्रालय

3. केंद्रीय अस्पताल, जोडा ।

गृह मंत्रालय

4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अस्पताल

इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में कुछ स्वायत्त-शासी अस्पताल हैं तथा ऐसे अस्पताल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कार्य कर रहे हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए है:—

स्वायत्तशासी अस्पताल

1. ई.एस.आई., अस्पताल, हाड़ुवार ।
2. ई.एस.आई, अस्पताल, अजराज ।
3. पारादीप पत्तन अस्पताल ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्पताल

1. आयरन माइन्स हास्पिटल, बरसुआन ।
2. बी.एस.एल. कंपनी हॉस्पिटल, बीरमित्रपुर ।
3. नेलको हॉस्पिटल, दमनजोडी ।
4. नेलको हास्पिटल, अंगोल ।

चूंकि उपर्युक्त कोई भी अस्पताल इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत नहीं है, इसलिए इन अस्पतालों में रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, जहां तक खुर्दा रोड स्थित रेलवे अस्पताल का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि उस अस्पाताल में पदधारी के अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने के कारण एक रिक्ति थी ।

दिल्ली में मिलावट वाले पेट्रोल की बिक्री

*217. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के कुछ पैट्रोल पम्पों पर मिट्टी का तेल मिला हुआ पैट्रोल बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि दिल्ली के पैट्रोल पम्प

अपने उपभोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में पैट्रोल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(घ) उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) पैट्रोल में मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) इस अवधि के दौरान 10 शिकायतें प्राप्त हुईं । जांच करने पर अल्पसुपुर्दगी की केवल एक शिकायत स्थापित की जा सकी जो पम्प में खराबी आने के कारण हुई थी । इस मामले में बिक्रियों को तब तक रोक दिया गया था जब तक कि माप और तोल विभाग द्वारा पुनः अंशांकन तथा स्टाम्पन कार्य समाप्त नहीं हो गया ।

(ङ) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तेल कंपनियों, राज्य सरकारों के माप और तौल तथा प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक जांच की जाती है ।

पैट्रोल तथा डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :--

(1) पैट्रोल पम्पों पर फिल्टर कागज परीक्षण ।

(2) आपूर्ति प्राप्ति दोनों ही स्थलों पर हाई स्पीड डीजल के तापमान और घनत्व को रिकार्ड करना ।

(3) मिट्टी के तेल में फरफ्यूरल मिलाना ।

(4) पैट्रोल पम्पों पर आकस्मिक निरीक्षणों के लिए चल प्रयोगशालाएं शुरू करना ।

(5) तेल कंपनी के अधिकारियों द्वारा पैट्रोल पम्पों तथा मिट्टी के तेल का एजेंसियों का नियमित निरीक्षण ।

(6) अनिवार्य वस्तुओं के वितरण और व्यापार को नियमित करने और किसी भी आनुषंगिक तथा अनुपूरक मामले के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने के प्रयोजनों से राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(7) मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण में भ्रष्टाचार) आदेश, 1990 को लागू करना ।

गुजरात में सड़क विकास के लिए विदेशी सहायता

*218. **श्री राजूभाई ए० परमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में सड़क परियोजनाओं को वित्त पोषित करने एवं उनके लिए ऋण दिए जाने हेतु विदेशी एवं विश्व बैंक सहायता प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण के अधीन अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 68.5 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई थी जिसे बाद में, विश्व बैंक द्वारा ऋण में से कुछ ठेकों